

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

129913 - क्या मगरिब की नमाज़ को खाने पर प्राथमिकता दी जायेगी ? या खाने को नमाज़ पर प्राथमिकता दी जायेगी ?

प्रश्न

मुसलमान किस तरह इफतार करे (रोज़ा खोले) ? क्योंकि बहुत से लोग खाने में व्यस्त होते हैं यहाँ तक कि मगरिब की नमाज़ का समय समाप्त हो जाता है, और जब आप उन से पूछें तो वे आप से कहते हैं कि : खाने की उपस्थिति में नमाज़ नहीं है। क्या इस कथन से दलील पकड़ना जायज़ है क्योंकि मगरिब का समय तंग होता है ? अब मैं क्या करूँ ? क्या मैं खजूर से इफतार करूँ फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ूँ और उसके बाद खाना मुकम्मल करूँ ? या कि मैं मुकम्मल खाना खा लूँ फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ूँ ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

“सुन्नत का तरीका यह है कि जब निश्चित रूप से सूरज डूब जाए तो रोज़ादार इफतार करने में जल्दी करे, क्योंकि हदीस में है कि : “लोग निरंतर भलाई में रहेंगे जब तक वे रोज़ा इफतार करने में जल्दी करेंगे।” तथा इस हदीस के आधार पर कि : “अल्लाह के निकट अल्लाह के सबसे अधिक प्रिय बंदे उनमें इफतार करने में सबसे जल्दी करने वाले हैं।” तथा रोज़ेदार के हक में सबसे संपूर्ण बात यह है कि वह चंद्र खजूरों पर रोज़ा इफतार करे फिर खाना खाने को मगरिब की नमाज़ के बाद तक विलंब कर दे ताकि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करते हुए इफतार में जल्दी करने की सुन्नत को और मगरिब की नमाज़ को उसके प्रथम समय में जमाअत के साथ पढ़ने को एक साथ प्राप्त कर सके।

जहाँ तक इस हदीस का संबंध है कि : “खाना की उपस्थिति में नमाज़ नहीं है, और न ही इस हालत में कि पेशाब और पाखान उसे रोक रहे हों।” और इस हदीस का कि : “जब इशा की नमाज़ और रात का खाना उपस्थित हो जाए तो रात के खाने से शुरुआत करो।” और इसके अर्थ में वर्णित अन्य हदीसों, तो इसका मतलब यह है कि जिसके सामने खाना पेश किया जाए या वह खाने पर उपस्थित हो, तो वह नमाज़ पढ़ने से पहले खाने से शुरुआत करेगा ताकि वह नमाज़ के लिए इस हालत में आए कि उसका दिल खाने की इच्छा से मुक्त हो, तो वह दिल के खुशू (विनम्र हृदय) के साथ नमाज़ पढ़े, लेकिन उसके लिए यह जायज़ नहीं है कि वह नमाज़ पढ़ने से पहले खाने पर उपस्थित होने या खाना पेश करने की मांग करे, अगर इसकी वजह

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

से प्रथम समय में या जमाअत के साथ नमाज़ छूट जाती हो। और अल्लाह तआला ही तौफीक देने वाला है, तथा अल्लाह तआला हमारे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर और आप के आल व अस्हाब पर दया और शांति अवतरित करे।” अंत हुआ।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

शैख अब्दुल अजीज़ बिन बाज़। शैख अब्दुल अजीज़ आलुशशैख। शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान। शैख सालेह अल-फौज़ान। शैख बक्र अबू ज़ैद।